खनिज

09

खनिज

मुख्य बिन्दु

- वर्ष 2023–24 (अग्रिम) में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (स्थिर भाव) में खनिज क्षेत्र का योगदान 31,80,704 लाख रूपये अनुमानित।
- वर्ष 2022–23 (अप्रैल 22 –जन.23) में राज्य के खनिज उत्पादन का मूल्य अखिल भारत स्तर पर उत्पादन मूल्य का 15.07 प्रतिशत रहा।
- वित्तीय वर्ष 2022–23 (माह जनवरी 23 तक) में देश के खनिज उत्पादन में छत्तीसगढ़ राज्य का हिस्सा क्रमशः कोयला उत्पादन में 19.76%, लौह अयस्क में 15.90%, चूनापत्थर में 11.08%, बॉक्साइट में 4.43% तथा टिन अयस्क में 100% रहा।
- कुल राजस्व आय में 97 प्रतिशत हिस्सा मुख्य खनिज का एवं 3 प्रतिशत गौण खनिज का हिस्सा है।
- राज्य सरकार द्वारा खनन संक्रियाओं से प्रभावित व्यक्तियों एवं क्षेत्र के विकास हेतु समस्त 33 जिलों में जिला खनिज संस्थान न्यास का गठन किया गया है। यह न्यास एक गैर लाभ अर्जित करने वाली संस्था है।

9.1 छत्तीसगढ़ की धरती औद्योगिक खनिजों से परिपूर्ण है। इन खनिजों की गुणवत्ता तथा इनके भण्डार उद्यमियों को प्रदेश में उद्योग लगाने हेतु आकर्षित करते हैं। वित्तीय वर्ष 2022–23 (माह जनवरी 23 तक) में देश के खनिज उत्पादन में छत्तीसगढ़ राज्य का हिस्सा क्रमशः कोयला उत्पादन में 19.76%, लौह अयस्क में 15.90%, चूनापत्थर में 11.08%, बॉक्साइट में 4.43% तथा टिन अयस्क में 100% रहा। छत्तीसगढ़ राज्य का लगभग 27 प्रतिशत राजस्व खनिजों के दोहन से खनिज राजस्व के रूप में प्राप्त होता है।

तालिका 9.1 राजस्व आय (करोड़) में

वर्ष	खनिज राजस्व
2015–16	3709.57
2016–17	4141.47
2017–18	4911.41
2018–19	6110.25
2019–20	6195.73
2020–21	5517.01
2021–22	12305.38
2022–23	12941.33

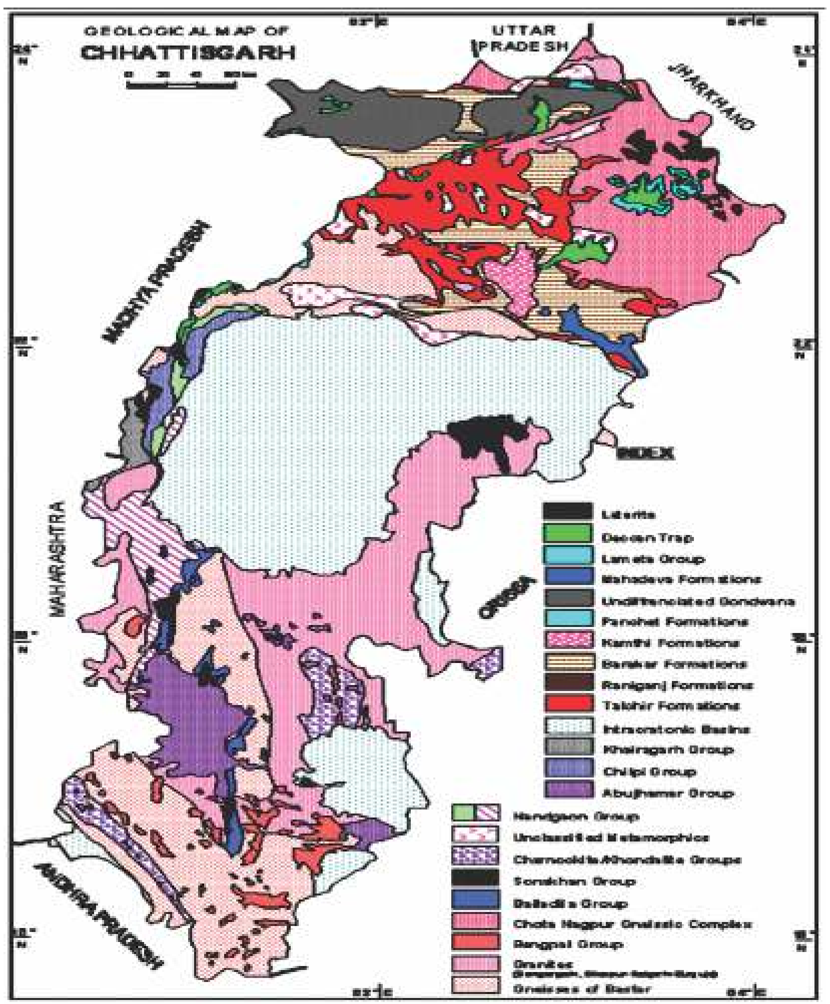

कोयले के अधिक उत्पादन के कारण छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में देश का महत्वपूर्ण केंद्र बन रहा है। इसी तरह यह राज्य विद्युत गहन खनिज प्रसंस्करण एवं पुनः अग्र–एकीकृत उद्योग यथा लौह एवं इस्पात, एल्यूमिनियम एवं सीमेंट उद्योग इत्यादि का केंद्र भी बन रहा है।

तालिका 9.2 खनन तथा उत्खनन क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में भागीदारी का विवरण (स्थिर भाव 2011–12)						
सांख्यिकी	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22(P)	2022-23(Q)	2023-24(A)
भागीदारी (लाख)	2536999	2481577	2550559	2659792	2963060	3180704
वृद्धि (प्रतिशत)	7.96	-2.18	2.78	4.28	11.40	7.35
हिस्सा (प्रतिशत)	11.38	10.54	10.72	10.00	10.37	10.52

खनन तथा उत्खनन क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में भागीदारी का विवरण (स्थिर भाव 2011–12)

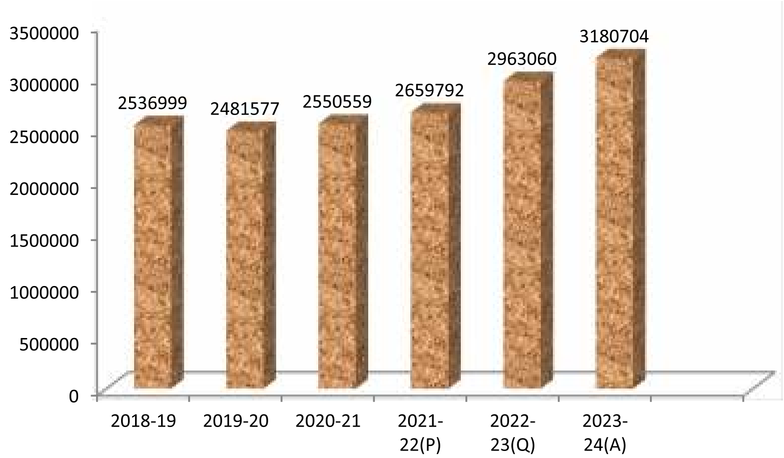

9.2 वर्तमान में प्रदेश में पाए जाने वाले मुख्य खनिज कोयला, चूनापत्थर, लौह अयस्क, बाक्साइट, टिन अयस्क, हीरा एवं स्वर्ण हैं। इन खनिजों के अतिरिक्त एलेक्जेंड्राइट, कार्नरूपेन, डोलोमाइट, क्वार्टजाइट, क्ले, फ्लोराइट, बेरिल, एन्डालूसाइट, कायनाइट, सिलिमेनाइट, टाल्क, सोपस्टोन, लेपीडोलाइट, गार्नेट, रनर मोल्डिंग सेंड, ग्रेफाइट, मोल्डिंग सेंड, एम्बीलीगोनाइट आदि है। प्रदेश में पाई जाने वाली विभिन्न चट्टानों ग्रेनाइट, फ्लैगस्टोन (फर्शीपत्थर) मार्बल आदि आकारीय पत्थर प्रचुर मात्रा में हैं।

तालिका 9.3– मुख्य खनिज के उत्पादन छत्तीसगढ़ एवं अखिल भारत, वर्ष 2022–23 (अप्रैल 22 से जनवरी 23)						
मुख्य खनिज	छत्तीसगढ़		भारत		योगदान का प्रतिशत	
	उत्पादन	मूल्य (लाख)	उत्पादन	मूल्य (लाख)	उत्पादन	मूल्य
कोयला (000 टन)	138101	-	698994	-	19.76	-
लौह अयस्क (000 टन)	32636	1289682.10	205245	6112573.04	15.90	21.10
चूना पत्थर (000 टन)	36824	104176.85	332236	891087.81	11.08	11.69
बॉक्साइट (000 टन)	873359	10207.96	19733415	233551.84	4.43	4.37
टिन (कि.ग्रा.)	38544	459.04	38544	459.04	100.00	100.0
अन्य मुख्य खनिज	15241	47.80	-	2082906.07	-	0.002
स्त्रोत–भारतीय खान ब्यूरो प्रकाशन						

9.3 खनिज उत्पादन का मूल्यः— छत्तीसगढ़ राज्य के खनिज उत्पादन मूल्य 2012—13 में अखिल भारत के कुल उत्पादन मूल्य का 7.9 प्रतिशत रहा, जो कि 2013—14 में बढ़कर 8.7 प्रतिशत हो गया परंतु वर्ष 2020—21 में 17.60 प्रतिशत तथा वर्श 2021—22 में 17.34 प्रतिशत रहा जो वर्श 2022—23 (अप्रेल—जनवरी) में अखिल भारत के कुल खनिज उत्पादन मूल्य का 15.07 प्रतिशत रहा। राज्य के खनिज उत्पादन मूल्य का वर्षवार विवरण तालिका 9.4 में दर्शाया गया है।

तालिका 9.4 कुल खनिज उत्पादन का मूल्य (करोड़ में)

वर्ष	छत्तीसगढ़	भारत	योगदान का %
2013—14	19566	225660	8.7
2014—15	19416	236554	8.2
2015—16	19213	234171	8.2
2016—17	22743	237730	9.6
2017—18	9184	58638	15.66
2018—19	11076	73257	15.12
2019—20	10001	69901	14.31
2020—21	11941	67814	17.60
2021—22	23023	132747.6	17.34
2022—23 (अप्रैल 22 —जन.23)	14046	93205	15.07

स्त्रोत—भारतीय खान ब्यूरो प्रकाशन

9.4 खनिज अन्वेषण कार्यः— वित्तीय वर्ष 2022—23 में 990.03 वर्ग कि.मी. क्षेत्र का भौमिकी सर्वेक्षण, भण्डारों के प्रमाणीकरण हेतु 3,220 मीटर ड्रिलिंग की गई है। खनिजों की गुणवत्ता एवं श्रेणी निर्धारण हेतु 2,669 खनिज नमूनों को विश्लेषित कर 26,648 मूलकों की उपस्थिति ज्ञात की गई।

तालिका 9.5 वर्ष 2019—20 एवं 2020—21 में विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण

क्र.	कार्य का प्रकार	इकाई	2022—23		2023—24 (सितं—23)	
			लक्ष्य	उपलब्धियॉं	लक्ष्य	उपलब्धियॉं
1	सर्वेक्षण/मानचित्रण	वर्ग कि.मी.	612.88	990.03	1044.24	298.18
2	ड्रिलिंग	मीटर	4050	3356	3650	924.55
3	नमूनों का विश्लेषण	मूलक संख्या	40000	26648	40000	11886

9.5 खनिज उत्पादनः—

9.5.1 मुख्य खनिजों का उत्पादनः— जैसा कि पूर्व से विदित है कि राज्य में मुख्य खनिज क्रमशः कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर, टिन तथा बॉक्साईट हैं। राज्य टिन का एक मात्र उत्पादक है। विगत वर्षों में मुख्य खनिज का उत्पादन का विवरण तालिका 9.6 में दर्शाया गया है।

तालिका 9.6 प्रमुख, मुख्य खनिज के उत्पादन का वर्षवार विवरण (हजार टन)						
मुख्य खनिज	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
कोयला	142514	161893	157064	158409	154120	184630
लौह अयस्क	34856	34945	34724	36989	41313	42549
चूना पत्थर	35154	42411	42699	40378	41888	44733
बॉक्साईट	1901	1532	1566	715	968	1056
टिन (कि.ग्रा.)	16757	21211	15546	16865	26383	45429

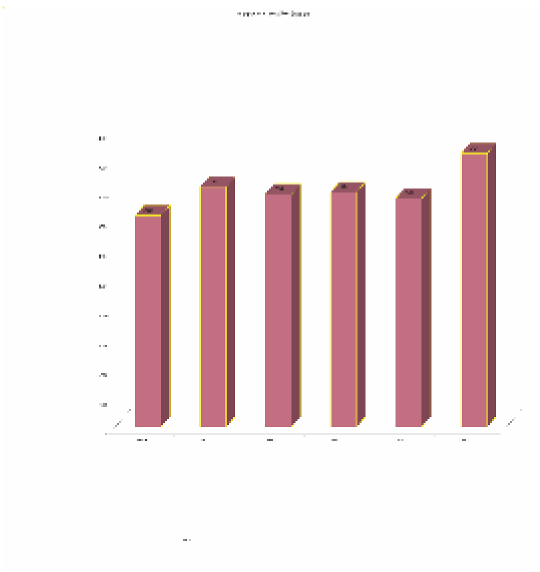

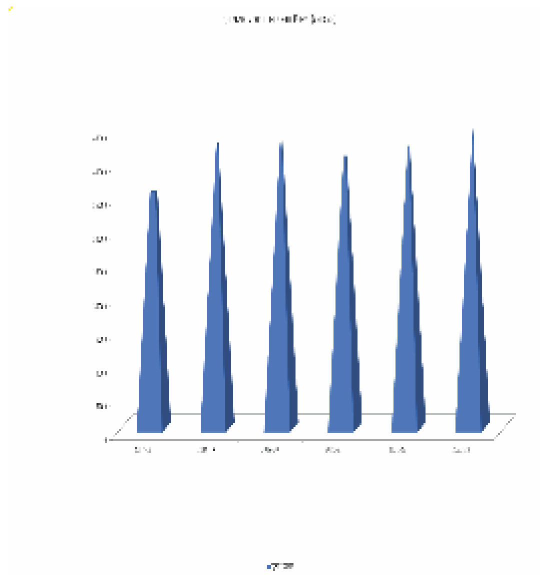

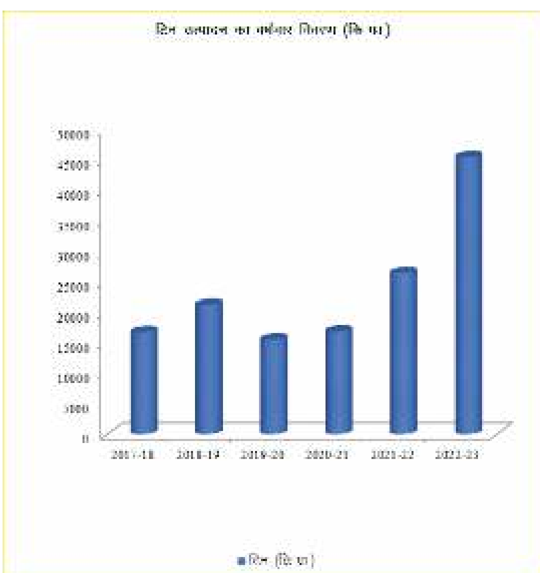

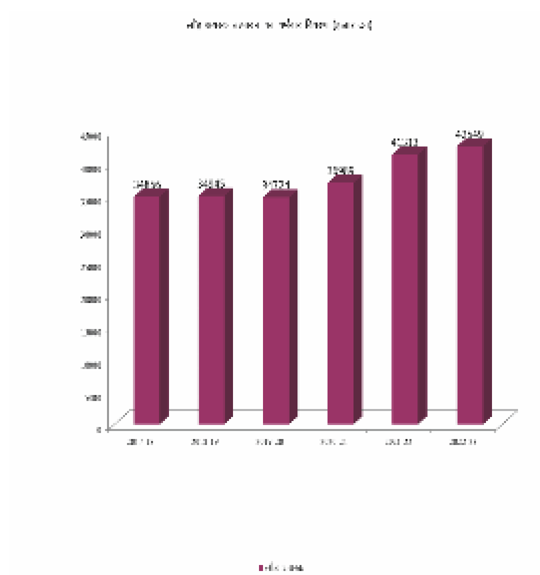

9.5.2 गौण खनिजों का उत्पादनः— वर्ष 2022—23 में राज्य में रूपये 103291.09 लाख मूल्य के गौण खनिजों का उत्पादन जिसका विवरण निम्नानुसार है

तालिका 9.7 गौण खनिज के उत्पादन एवं मूल्य का विवरण (मात्रा टन में एवं मूल्य लाख रू. में)								
खनिज का प्रकार	2019—20 उत्पादन		2020—21 उत्पादन		2021—22 उत्पादन		2022—23 उत्पादन	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
पत्थर	3066816	9813.81	3598556	11695.31	4294037	13955.56	2502776	8134.02
मिट्टी	1066559	3089.91	192769	578.31	2721417	6259.15	1710553	3934.26
मुरूम	4598737	10117.22	3617266	8319.71	7452384	17140.33	13320799	30637.82
फर्शीपत्थर	168757	497.83	7966596	18323.17	173261	519.75	152240	456.71
ग्रेनाईट (घ.मी.)	1051	31.52	789	24.45	945	29.27	689	21.36
चूना पत्थर	8252930	31773.79	11171679	44128.12	11018847	43524.38	11010083	43489.80
डोलोमाईट	3738411	14766.72	5040087	20160.35	5101207	20404.8	4017596	16070.38
क्वार्टज	49067	210.99	34757	356.26	56094	246.81	52519	231.08
क्वार्टजाइट	97650	1000.91	27667	121.73	34985	358.58	30796	315.66

9.6 राजस्व आय :— छत्तीसगढ़ राज्य का राजस्व आय में खनिज विभाग का महत्वपूर्ण योगदान रहा। मुख्य खनिज में लगातार वृद्धि हो रहे हैं, वित्तीय वर्ष 2022—23 में मुख्य खनिज से 8279.65 करोड़ आय हुआ, जहाँ गौण खनिज इसी अवधि में 246.72 करोड़ आय हुआ है। विगत पाँच वर्षों में प्राप्त राजस्व की जानकारी निम्न सारणी पर दर्शित हैः—

तालिका 9.8 मुख्य एवं गौण खनिजों से राजस्व आय (राशि लाख रू. में)					
मुख्य खनिज	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
कोयला	271350.59	233687.11	235586.09	252351.97	424573.26
लौह अयस्क	183769.52	182849.59	197062.43	422392.87	360820.39
चूनापत्थर	34433.27	32897.1	33648.05	33850.5	39153.01
बाक्साइट	2948.71	2686.93	1295.38	2401.16	3099.28
टिन अयस्क	13.82	10.15	9.38	16.13	35.38
रनर मोल्डिग सेण्ड	1.24	1.74	3.12	2.73	1.9
मोल्डिंग सेण्ड	1.81	1.04	0.13	2.06	4.01
विविध आय	76.13	304	3.77	21018.02	277.61
योग	**492595.09**	**452437.66**	**467608.35**	**732035.44**	**827964.84**

गौण खनिज					
चूनापत्थर	8840.66	6602.34	8937.34	8815.08	8808.07
डोलोमाइट	3944.86	3364.57	4536.08	4591.09	3615.84
क्वार्टज एवं क्वार्टजाइट	89.55	180.87	73.56	99.47	90.38
पत्थर	3635	2591.46	3057.71	3628.46	2114.85
फायरक्ले	11.25	3.45	11.26	4.05	0.5
फर्शीपत्थर	167.51	131.63	150.36	135.14	118.75
मिट्टी	581.65	362.63	1229.87	925.28	581.59
मुरूम	1570.18	1310.64	2271.07	2123.92	3796.43
रेत	2.69	37.57	0	0	0
ग्रेनाइट	17.74	21.01	15.77	18.9	23.83
क्वार्टजाइट/सिलिका	19.27	0.6	1.47	0.75	0.7
सोपस्टोन	0	0.07	0	0.18	0
व्हाईट क्ले	0.66	1.19	0.6	0.6	2.4
कोरण्डम	2.22	1.32	0	1.63	3.89
डालेराईट	0	0	0	0	325
विविध आय	11202.9	4870.6	5810.32	4941.08	5189.8
योग	**30086.14**	**19479.95**	**26095.41**	**25285.63**	**24672.03**
गौण खनिज रेत से प्राप्तियां	0	452.05	1806.27	1474.98	1530.26
अर्थदण्ड और राजसातकरण	1522.03	61886.3	6836.72	2346.9	3445.96
विविध प्राप्तियॉं	949.27	3252.15	15711.25	1887.12	3187.89
नीलामी से प्राप्त राशिः					
कोल ब्लॉक्स से प्राप्त नीलामी राशि	85109.68	81268.67	29768.64	57252.99	56081.58
गौण खनिज से प्राप्त नीलामी राशि	226.89	554.72	227.76	328.88	612.72
कोयला छोड़कर अन्य मुख्य खनिज	534.44	241.1	1904.83	4219.56	2533.1
गौण खनिज रेत की नीलामी राशि	0	0	1742.23	1518.42	1657.5
योग	**85871.01**	**82064.49**	**33643.46**	**63319.85**	**60884.9**
150 प्रतिशत अतिरिक्त राशि	0	0	0	404188.65	372447.01
महायोग	**611023.54**	**619572.6**	**551701.46**	**1230538.6**	**1294132.9**

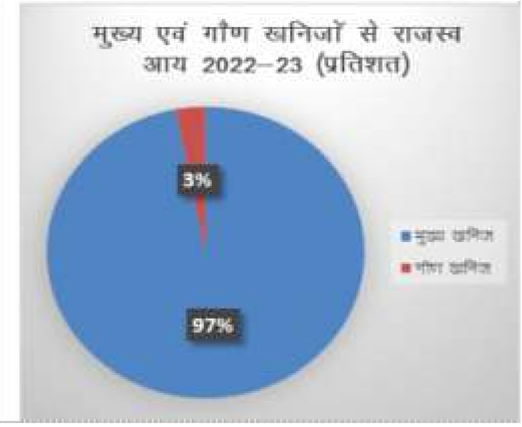

तालिका क. 9.9 छत्तीसगढ़ के प्रमुख खनिज		
क्र.	जिले का नाम	खनिज
1	रायपुर	चूनापत्थर
2	बलौदाबाजार	चूनापत्थर, डोलोमाइट, स्वर्ण धातु
3	गरियाबंद	गार्नेट, हीरा, अलेक्जेन्ड्राइट (लौह अयस्क एवं मैगनीज सूक्ष्म मात्रा में उपलब्ध)
4	दुर्ग	चूनापत्थर, मोल्डिंग सेंड, क्वार्टजाइट
5	बालोद	लौह अयस्क
6	बेमेतरा	चूनापत्थर, डोलोमाइट, क्वार्टजाइट (रेड ओकर सूक्ष्म मात्रा में उपलब्ध)
7	राजनांदगांव	चूनापत्थर, लौह अयस्क, फ्लोराइट, क्ले, क्वार्टज/सिलिका सेन्ड, रनर मोल्डिंग सेंड (स्वर्ण एवं सीसा सूक्ष्म मात्रा में उपलब्ध)
8	कबीरधाम	बाक्साइट, चूनापत्थर, लौह अयस्क, सोपस्टोन (ओकर सूक्ष्म मात्रा में उपलब्ध)
9	धमतरी	क्ले एवं अगेट सूक्ष्म मात्रा में उपलब्ध
10	महासमुन्द	स्वर्ण धातु, क्वार्टजाइट, लौह अयस्क, चूनापत्थर (सीसा एवं फ्लोराइट सूक्ष्म मात्रा में उपलब्ध)
11	जगदलपुर	चूनापत्थर, डोलोमाइट, बाक्साइट, क्वार्टजाइट
12	नारायणपुर	लौह अयस्क
13	कांकेर	बाक्साइट (स्वर्ण एवं क्वार्टज सूक्ष्म मात्रा में उपलब्ध)
14	कोण्डागांव	बाक्साइट
15	दंतेवाड़ा	लौह अयस्क, टिन अयस्क (लेपिडोलाइट, गेलेना एवं क्वार्टज सूक्ष्म मात्रा में उपलब्ध)
16	बीजापुर	कोरण्डम, बाक्साइट (गार्नेट एवं ताम्र अयस्क सूक्ष्म मात्रा में उपलब्ध)
17	सुकमा	क्वार्टज, लाइमस्टोन, टिन, कोरण्डम (गेलेना सिलिमेनाइट, बैरिल आदि सूक्ष्म मात्रा में उपलब्ध)
18	बिलासपुर	चूनापत्थर, डोलोमाइट
19	मुंगेली	चूनापत्थर, क्वार्टजाइट
20	जांजगीर	चूनापत्थर, डोलोमाइट
21	कोरबा	कोयला (माइका एवं फायर क्ले सूक्ष्म मात्रा में उपलब्ध)
22	सरगुजा	कोयला, बाक्साइट (लेड, माइका एवं चूनापत्थर सूक्ष्म मात्रा में उपलब्ध)
23	सूरजपुर	कोयला (माइका एवं फायर क्ले सूक्ष्म मात्रा में उपलब्ध)
24	बलरामपुर	कोयला, बाक्साइट (ग्रेफाइट एवं एसबेस्टस सूक्ष्म मात्रा में उपलब्ध)
25	कोरिया	कोयला
26	रायगढ़	कोयला, डोलोमाइट, चूनापत्थर एवं क्वार्टजाइट
27	जशपुर	स्वर्ण धातु, बाक्साइट (बेरिल एवं गार्नेट सूक्ष्म मात्रा में उपलब्ध)
28	मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर	कोयला

इसके अतिरिक्त रेत, गिट्टी, मुरूम, फर्शीपत्थर, क्ले, ग्रेनाइट, सेन्ड स्टोन आदि भी प्रदेश के विभिन्न जिलों में पाए जाते है।

9.7 मुख्य खनिज ब्लॉक्स की ई–नीलामी:– नवीन खनिज अधिनियम/नियमों के तहत् मुख्य खनिज ब्लाूक्स का खनिपट्टा/कम्पोजिट लायसेंस हेतु आबंटन हेतु ई–ऑक्शन टेण्डर के माध्यम से वर्ष 2015 से किया जा रहा है जिसके अंतर्गत अब तक कुल 34 खनिज ब्लॉक्स 13 चूनापत्थर, 09 लौह अयस्क, 05 बॉक्साइट, 01 गोल्ड, 02 निकल क्रोमियम पीजीई ब्लॉक्स, 02 ग्रेफाइट एवं 02 ग्लूकोनाइट की नीलामी सफलतापूर्वक की जा चुकी है। 04 आयरन ओर, 04 चूनापत्थर, 01 डायमण्ड, 05 गोल्ड, 01 बाक्साइट, 01 फास्फोराइट, 01 बेसमेटल खनिज ब्लॉक्स के नीलामी की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। वर्ष 2023–24 में विभिन्न खनिजों के कुल 25 ब्लॉक्स का आबंटन ई–नीलामी के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित है।

9.8 खनिज ऑनलाईन 2.0 परियोजना:– खनिज विभागीय क्रियाकलापों में दक्षता एवं पारदर्शिता लाने तथा कार्य में संलग्न हितग्राहियों के Ease of Doing Business के उद्देश्य से प्रदेश में खान एवं खनिजो के समग्र प्रबंधन हेतु विभाग द्वारा एक Web Based Integrated Mines and Minerals Management System "खनिज ऑनलाईन" योजना जून, 2017 से संचालित है।

नई सरकार द्वारा योजना की समीक्षा उपरांत आईटी क्षेत्र में हो रहे सतत innovations के परिप्रेक्ष्य में यह निर्णय लिया गया कि सम्पूर्ण कार्य डिजिटल और Paperless करते हुए खनिज ऑनलाइन परियोजना को अपने नए स्वरुप में बहुआयामी और सारे हितधारको के लिए सरल बनाया जाए। तदनुसार डेस्कटॉप वर्सन सहित क्लाउड आधारित वीटीएस, मोबाईल ऐप, इंटीग्रेटेड कमाण्ड कंट्रोल सेंटर युक्त खनिज ऑनलाईन 2.0 परियोजना निर्माण की परिकल्पना जून, 2019 में की गई।

जीपीएस आधारित मिनरल व्हीकल मॉनिटरिंग एण्ड ट्रेकिंग सिस्टम (वीटीएमएस) से जहां पोर्टल में रजिस्टर्ड वाहनों द्वारा ट्रांजिट पास अनुसार स्त्रोत से अंतिम स्थल तक खनिज परिवहन की गतिविधियों का Live tracking हो सकेगा, वहीं एण्ड्रायड/आईओएस आधारित मोबाईल एप विभिन्न स्टेकहोल्डर्स के मध्य दैनिक गतिविधियों के निष्पादन एवं जानकारी के सरल संप्रेषण हेतु सहायक होगा। एप के माध्यम से ही QR कोड आधारित

पेपरलेस ट्रांजिट पास की व्यवस्था सुलभ हो सकेगी। Integrated Command Control Centre (CCC) प्रशासकीय दृष्टि से निर्णय लेने हेतु एक केन्द्र बिन्दु के रुप में कार्य करेगा, जहां फील्ड आईटी उपकरणों, खनिज गतिविधियों एवं उनके खनन संक्रियाओं की निगरानी, दैनिक संक्रियाओं का समन्वय हो सकेगा। कमजोर अथवा गैर इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में कार्य हेतु पोर्टल का डेस्कटॉप वर्सन सहायक होगा। इसी प्रकार Redundancy & Disaster Recovery युक्त Cloud based Server तत्कालीक खराबी अथवा आपदा की स्थिति में आटोमेटिक स्वीच ओवर एवं आवश्यकतानुसार क्षमता वृद्धि हेतु प्रभावी व्यवस्था होगी।

तदनुसार नोडल एजेंसी चिप्स के माध्यम से क्यूसीबीएस आधारित ऑनलाईन टेंडर के माध्यम से खनिज ऑनलाईन 2.0 परियोजना के डेवलपमेंट एवं संचालन/रख–रखाव हेतु लगभग 90 करोड़ लागत की 05 वर्षीय योजना हेतु मेसर्स सिनेसिस टेक लिमिटेड का चयन किया जाकर दिनांक 16.10.2020 को एल.ओ.आई. जारी किया गया है। कंपनी द्वारा कार्य प्रारंभ किया जा चुका है।

खनिज ऑनलाईन 2.0 परियोजना प्रदेश में खान एवं खनिजों के आई.टी. आधारित समग्र प्रबंधन का एक उत्कृष्ट उदाहरण देश में स्थापित करेगा।

9.9 छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास :– भारत सरकार, खान मंत्रालय व्दारा खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 9 (ख), 15 (4) एवं 15 क के तहत् राज्य सरकार व्दारा छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015, दिनांक 22 दिसम्बर 2015 अधिसूचित किया गया है। राज्य सरकार व्दारा खनन संक्रियाओं से प्रभावित व्यक्तियों एवं क्षेत्र के विकास हेतु समस्त 33 जिलों में जिला खनिज संस्थान न्यास का गठन किया गया है। यह न्यास एक गैर लाभ अर्जित करने वाली संस्था है।

न्यास के कार्यो के लिए वित्तीय व्यवस्था मुख्य खनिज एवं गौण खनिज के खनिपट्टों, पूर्वेक्षण सह खनिपट्टों से प्राप्त रायल्टी का 10 से 30 प्रतिशत राशि डीएमएफ के रूप में प्राप्त की जा रही है। जिला खनिज संस्थान न्यास (डीएमएफ) में सितम्बर 2023 तक 11895 करोड़ की राशि प्राप्त हो चुकी है।

प्रगतिः—

प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के निर्देशों के अनुरूप सितम्बर 2023 तक प्रदेश में 13,236 करोड़ रूपये की 86 हजार से अधिक कार्यों की स्वीकृति जिलों में जारी किया गया है, जिसमें 55 हजार से अधिक कार्य पूर्ण हो चुके है। 9,183 करोड़ रूपये व्यय हो चुके है।

प्रदेश में DMF से संपादित प्रमुख कार्य—

- शिक्षकों की मानदेय की व्यवस्था, प्रतियोगी परीक्षा प्रशिक्षण, स्मार्ट क्लास, लैब एवं लाईब्रेरी का उन्नयन तथा इग्लिश स्कूल के संचालन में अंशदान।
- कबीरधाम जिले में शिक्षक विहीन एवं एकल शिक्षक विद्यालयों में 108 बैगा शिक्षा संगवारियों की नियुक्ति की गई है। जिससे शिक्षा गुणवत्ता में वृद्धि एवं बैगाओं हेतु रोजगार सृजन किया गया है।
- रायगढ़ जिले में 524 शालाओं में पुस्तकालय बनाये गये है।
- सुकमा जिले के विकास खण्ड कोण्टा में 2006 से बंद 123 शालाओं को प्रारंभ किया जाकर स्थानीय युवक एवं युवतियों को शिक्षादूत की नियुक्ति।
- खनन प्रभावित कृषकों के आजीविका उन्नयन हेतु, नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी योजना के तहत गौठानों एवं चारागाहों में सोलर पंप स्थापना।
- गोठान विकास एवं रोजगारमुखी कार्यों का सृजन।
- सिंचाई हेतु डीजल एवं विद्युत पम्प वितरण, ड्रीप स्थापना अनुदान।
- विभिन्न विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती की जा रही हैः— शिशु रोग, हडडी रोग, शल्य चिकित्सक, फारेंसिक, स्त्री रोग, निश्चेतना, मेडिसीन, गहन इकाई चिकित्सा अधिकारी, जिला अस्पतालों का उन्नयन कार्य।
- सभी जिलों में कुपोषित बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं हेतु मध्यान्ह भोजन (खीर वितरण)/प्रोटीन युक्त आहार की व्यवस्था की जा रही है।
- स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार। स्वास्थ्य से संबंधित अधोसंरचना। जगदलपुर के महारानी अस्पताल का जीर्णोद्धार एवं स्वास्थ्य सुविधओं में विस्तार। सूरजपुर जिले में मोबाईल यूनिट का संचालन।

- डायलिसिस यूनिट की शुरूवात होने से मरीजों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। किडनी संबंधी रोगियों को बड़ी राहत मिलने लगी है। जिला अस्पताल कोरिया में डायलिसिस की सुविधा नही होने से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ता था जिससे अब मरीजों को राहत मिलेगी।
- डेयरी पालन हेतु अनुदान राशि।
- बाड़ी विकास योजना के तहत प्रत्यक्ष प्रभावित ग्रामों के किसानों को ड्रीप प्रतिस्थापन।
- लघु एवं सीमांत अनुसूचित जनजाति एवं विशेष पिछड़ी जनजाति के कृषकों को कृषि घटक के रूप में पॉवर स्प्रेयर एवं कृषि दवांईयॉ उपलब्ध कराई गयी, जिससे उनकी फसल उत्पादकता में वृद्धि हुई एवं आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई।
- पेयजल हेतु सोलर पम्प की स्थापना।
- फ्लोराइड प्रभावित ग्रामों में फ्लोराइड रिमूवल स्थापना कार्य।
- वाटर एटीएम एवं पाईप लाईन से पेयजल व्यवस्था।
- खनन प्रभावित ग्रामों में नल जल प्रदाय योजना एवं आवर्धन जल प्रदाय योजना।
- छात्र/छात्राओं को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु विद्यालयों में वाटर प्यूरिफायर सिस्टम की स्थापना की गई है।
- दुर्ग जिले में ग्राम पंचायत, छात्रावास, चिकित्सालयों में पाईप लाईन से पेयजल की व्यवस्था।
- सोलर ड्यूल पंप स्थापना कार्य प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रों के ऐसे स्थलों में किया गया है, जहॉ पीने की पानी की समस्या थी। उक्त कार्य से ग्रामीणों को पीने हेतु स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो रहा है।
- सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना।
- मत्स्य पालन को बढ़ावा देने हेतु मत्स्य बीज, जाल, प्रशिक्षण एवं परिपूरक आहार। मसाला उत्पादन इकाई का स्थापना कर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है।

- जशपुर जिले में 195 कृषकों को मिनी राईस मील उपलब्ध कराया गया है।
- वृद्ध एवं निःशक्तजनों के कल्याण हेतु दिव्यांगजनों को बैटरी चलित सायकल प्रदाय ।
- श्रवण यंत्र (डिजिटल) प्रदाय, ई–ब्रेल स्मार्ट क्लास।
- सुकमा जिले में दिव्यांग बच्चों के लिए 100 सीटर आवासीय विद्यालय प्रारंभ।
- जीविकोपार्जन हेतु स्वरोजगार के विभिन्न कार्य किया जा रहा है। जैसे– ई–रिक्शा, मधुमक्खी पालन, बटेर पालन, मछली पालन, झिंगा पालन, महुआ पत्ता प्रसंस्करण, बांस आधारित कार्य।

महिला एवं स्वसहायता समूहों को मशरूम उत्पादन, प्रसंस्करण एवं प्रशिक्षण प्रदाय कर स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जा रहे है। मशरूम उत्पादन के माध्यम से न केवल महिलाएं स्वालम्बी हुई है।

9.10 छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड :– छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (सी.एम.डी.सी.), छत्तीसगढ़ राज्य शासन का एक उपक्रम है, जिसमें शत–प्रतिशत निवेश राज्य सरकार का है। सी.एम.डी.सी. की अल्पकालीन, मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन कार्ययोजना के अनुसार सी.एम.डी.सी. का मुख्य कार्य खनिजों की रियायतें प्राप्त कर खनिजों का विकास, दोहन एवं विक्रय कर लाभार्जन कर व्यवसाय बढ़ाना है।

9.10.1 छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की परियोजनाएं :–

9.10.2 कोल परियोजना:– भारत सरकार कोल मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2016 में छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर एवं एम.पी. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल के संयुक्त उपक्रम कंपनी केरवा कोल लिमिटेड (के.सी.एल.) के पक्ष में केरवा कोल ब्लॉक आबंटित किया गया है। केरवा कोल ब्लॉक क्षेत्र पर पूर्वेक्षण/अन्वेषण हेतु आवश्यक वन स्वीकृति प्राप्त किये जाने उपरान्त दिनांक 31.03.2021 तक आउट सोर्सिंग के माध्यम से 40753.00 मीटर का वेधन का कार्य पूर्ण किया गया है। वेधन से प्राप्त कोर नमूनों को भौमिक एवं रासायनिक विश्लेषण परिणाम के आधार पर

जियोलॉजिकल रिपोर्ट प्राप्त कर दिनांक 31.03.2022 को खनिपट्टा हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। केरवा कोल ब्लॉक के आगामी विकास एवं दोहन हेतु MDO (Mine Developer and Operator) चयन के लिये स्टेक होल्डर्स मीटिंग आयोजन की कार्यवाही प्रचलन में है। स्टेक होल्डर्स मीटिंग आयोजन से प्राप्त निष्कर्ष उपरांत कोल ब्लॉक विकास के संबंध में आगामी रूप रेखा तैयार की जावेगी।

9.10.3 लौह अयस्क परियोजना :– सी.एम.डी.सी. एवं सी.एम.डी.सी. के मध्य गठित संयुक्त उपक्रम की कंपनी एन.एम.डी.सी.–सी.एम.डी.सी. (एन.सी.एल.) के पक्ष में बैलाडीला लौह अयस्क निक्षेप क्रमांक–13, स्वीकृत है एवं बैलाडीला लौह अयस्क निक्षेप क्रमांक–04 को भारत सरकार द्वारा 05 वर्शो के लिए आरक्षित किया गया है।

बैलाडीला लौह अयस्क निक्षेप क्रमांक–13 की समस्त वैधानिक स्वीकृतियां प्राप्त कर खनिपट्टा अनुबंध का निश्पादन दिनांक 10.01.2017 को पूर्ण कर लिया गया है, कलेक्टर दंतेवाड़ा के आदेश दिनांक 11.06.2019 के परिपालन में परियोजना से संबंधित सभी गतिविधियां बंद है। प्रकरण शासन स्तर पर लंबित है।

भारत सरकार खान मंत्रालय द्वारा बैलाडीला लौह अयस्क डिपॉजिट क्रमांक–04 रकबा 646.596 हेक्टर आरक्षित वन क्षेत्र को एम.एम.डी.आर. एक्ट, 1957 की धारा 14(ए)1 के तहत् एन.सी.एल. के पक्ष में अधिसूचना दिनांक 30.06.2019 के माध्यम से 5 वर्श की अवधि हेतु आरक्षित किया गया । तदोपरान्त छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय रायपुर का पत्र दिनांक 26.06.2021 के माध्यम से सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। वर्तमान में पर्यावरण एवं वन स्वीकृति प्राप्त किये जाने की कार्यवाही प्रचलन में है।

आरीडोंगरी लौह अयस्क परियोजना हेतु समस्त वैधानिक स्वीकृतियॉं प्राप्त कर खदान से विक्रय/परिवहन प्रारंभ किया गया था, परन्तु अतिरिक्त राशि की देयता वैधानिकता को ठेकेदार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है, प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है एवं आदिवासी विकास समिति के विरोध के कारण खदान माह–नवंबर 2022 से बंद है।

9.10.4 बाक्साइट परियोजना :– सी.एम.डी.सी. द्वारा जिला सरगुजा में 05 क्षेत्रो में खनन एवं विपणन का कार्य प्रारंभ है। वर्ष 2022–23 में इन खदानों से सी.एम.डी.सी. को वेल्यु ऑफ बाक्साईट (कमीशन) के रूप में राशि 4.06 करोड़ तथा राज्य शासन को रायल्टी एवं

अन्य कर के रूप में राशि रूपये 3.01 करोड़ की प्राप्ति हुई है। वर्ष 2023–24 में इन खदानो में सी.एम.डी.सी. को वेल्यु ऑफ बाक्साईट (कमीशन) के रूप में लगभग राशि रू. 11.20 करोड़ तथा राज्य शासन को रायल्टी एवं अन्य कर के रूप में लगभग राशि रूपये 24.55 करोड़ प्राप्त होने की संभावना है।

सी.एम.डी.सी. द्वारा कुल 10 खनिज बाक्साईट धारित क्षेत्रों के खनिपट्टा आवेदन प्रस्तुत किया गया था। जिला सरगुजा 06, कबीरधाम 02, बलरामपुर 01 एवं जशपुर–01 क्षेत्रो में आवेदन किया गया था। जिसके परिप्रेक्ष्य में सभी क्षेत्रो हेतु खनिपट्टा स्वीकृति आदेश शर्तो के तहत् जारी किया गया। उक्त खनिपट्टा क्षेत्रो में से 04 क्षेत्रो पर पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त है तथा अन्य 06 क्षेत्रो पर पर्यावरण स्वीकृति की कार्यवाही प्रचलन में है। उक्त सभी परियोजनाओं के प्रारंभ होने से सी.एम.डी.सी. को लगभग राशि रूपये 35–40 करोड़ प्रतिवर्ष की आय संभावित है।

तालिका 9.11 बाक्साइट परियोजना

वित्तीय वर्ष	उत्पादन (मिट्रिक टन में)	परिवहन (मिट्रिक टन में)
2015–16	130984.730	130984.730
2016–17	75157.540	75157.540
2017–18	556900.790	556900.790
2018–19	180133.900	180133.900
2019–20	1,54,533.380	1,54,533.380
2020–21	52,841.130	52,841.130
2021–22 (नवंबर, 2021 तक)	63,001.210	63,001.210

तालिका क. 9.10 मुख्यमंत्री फ्लैगशिप योजनाओं में डीएमएफ का अंशदान (सितम्बर 2023 तक, राशि करोड़ रूपये में)

क	योजना का नाम	स्वीकृत राशि	जारी राशि
1	मुख्यमंत्री सुपोषण योजना	346.29	210.73
2	नरूवा, गरूवा, घुरूवा, बाड़ी	440.07	295.52
3	मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लीनिक योजना	23.30	17.21
4	मुख्यमंत्री स्लम अस्पताल योजना	0.21	0.21
5	इंग्लिश मिडियम स्कूल हेतु	575.17	341.62
6	गौठान विकास	343.13	234.85

9.10.5 कोरण्डम खनिज परियोजनाः– अविभाजित मध्यप्रदेश शासन द्वारा तत्कालीन जिला बस्तर (वर्तमान में जिला कांकेर, कोण्डागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर एवं सुकमा) के समस्त कोरण्डम खनिज धारित क्षेत्रों को मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम लिमिटेड के माध्यम से स्वतः खनन् के लिए अधिसूचना क्रमांक 19–4/28/XII/7017

भोपाल दिनांक 16 जून 1978 द्वारा सुरक्षित किया गया है। राज्य पुनर्गठन के उपरान्त यह क्षेत्र छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि0 को प्राप्त हुआ है।

कोरण्डम खनिज के लिए वर्ष 2023–24 तक कुल 03 खनिपट्टा स्वीकृत है। जिला बीजापुर के ग्राम कुचनूर में स्थित कोरण्डम खनिज के स्वीकृत खनिपट्टे पर शीघ्र ही कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, जिसमें कार्पोरेशन को प्रतिवर्ष कम से कम रूपये 5.00 लाख की शुद्ध आय निश्चित है तथा कार्पोरेशन का उक्त व्यवसाय प्रारम्भ होने पर क्षेत्र के लगभग 10 गांव के 150 परिवारों को परोक्ष रूप से एवं 500 परिवारों को अपरोक्ष रूप से लाभ प्राप्त होगा।

9.10.6 केसेटराईट खनिज (टिन अयस्क) परियोजना:– सी.एम.डी.सी. के पक्ष में केसेटराईट खनिज के कुल 14 खनिपट्टा स्वीकृत है, जिसमें से संयुक्त प्रक्षेत्र कम्पनी मेसर्स प्रेशियस मिनरल एण्ड स्मेल्टिंग लिमिटेड जगदलपुर को 08 खनिपट्टा हस्तान्तरित किया गया है। सी.एम.डी.सी. द्वारा बस्तर क्षेत्र के स्थानीय अनुसूचित जनजातियों की संचालित 05 सहकारी समितियों के माध्यम से टिन खनिज का क्रय किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2023–24 (माह नवम्बर 2023 तक) सहकारी समितियों के 225 सदस्यों को लगभग राशि रू. 1,42,20,417.00 (एक करोड़ ब्यालिस लाख बीस हजार चार सौ सत्रह रूपये मात्र) का भुगतान किया गया है। सी.एम.डी.सी. द्वारा बस्तर क्षेत्र में टिन अयस्क का क्रय एक जन हितकारी योजना के तहत् अनुसूचित जनजातियों के परिवारों के हित के लिये किया जा रहा है, इससे प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से लगभग 250 आदिवासी परिवार लाभान्वित हो रहे हैं।

9.10.7 खनिज अन्वेषण कार्य के संबंध में:– सी.एम.डी.सी. द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 (नवम्बर–2023 तक) में किसी भी प्रकार का अन्वेषण कार्य नही किया गया है।

9.10.8 बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड (बी.आर.पी.एल.):– रावघाट जगदलपुर (रावघाट–कोंडागांव 68.51 कि.मी. एवं कोंडगांव–जगदलपुर 71.49 कि.मी.) रेल लाईन 140 कि.मी. के विकास हेतु एन.एम.डी.सी., सेल, इरकॉन एवं सी.एम.डी.सी. द्वारा बस्तर रेलवे कार्पोरेशन लिमिटेड के नाम से दिनांक 05.05.2016 को संयुक्त उपक्रम कम्पनी का गठन किया गया है। इस परियोजना में भागीदारी क्रमशः एन.एम.डी.सी. (52%), इरकान

(26%), सेल (12%) एवं छत्तीसगढ़ शासन (10%) है। भारत सरकार के निर्णय अनुसार इस रेल लाइन का विस्तार अब दक्षिण पूर्वी मध्य रेल्वे द्वारा किया जाएगा, साथ ही राज्य सरकार को इस परियोजना से जुड़ने हेतु विकल्प भी दिया गया है।

9.10.9 छत्तीसगढ़ कॉपर लिमिटेड (सी.सी.एल.):— छत्तीसगढ़ राज्य में उपलब्ध कॉपर एवं सह खनिजों के अन्वेषण, खनन तथा बेनीफिसिएशन एवं कॉपर कॉन्सट्रेन्ट को विभिन्न केताओं को विक्रय हेतु सी.एम.डी.सी. तथा भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड के मध्य दिनांक 30.08.2016 को जे.व्ही.ए. का निष्पादन किया जाकर, दिनांक 21.05.2018 को छत्तीसगढ़ कॉपर लिमिटेड के नाम से संयुक्त उपक्रम कम्पनी के गठन उपरांत जे.व्ही. कम्पनी द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के अतर्गत कॉपर खनिज की खोज हेतु हिदर तथा बोदल 02 क्षेत्रो को जे.व्ही. कम्पनी के लिए आरक्षित करने हेतु दिनांक 09.07.2021 को राज्य शासन द्वारा भारत सरकार खान मंत्रालय को प्रस्ताव प्रेषित किया गया है, जिसके संबंध मे कार्यवाही प्रचलन में है।

9.10.10 डोलोमाईट खनिज परियोजना:— छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग द्वारा आदेश क्रमांक एफ 3—14/2021/12, दिनांक 26.11.2021 के माध्यम से ग्राम छीतापड़रिया, तहसील जैजैपुर, जिला जांजगीर—चांपा स्थित खनिज डोलोमाईट धारित क्षेत्र कुल रकबा 407.410 हेक्टर को सी.एम.डी.सी. के पक्ष में आरक्षित किया गया है। उक्त क्षेत्र को सी.एम.डी.सी. के पक्ष में खनिपट्टा स्वीकृति हेतु आवेदन दिनांक 05.01.2022 को प्रस्तुत किया गया है। उक्त के विरूद्ध छत्तीसगढ़ शासन खनिज साधन विभाग द्वारा आदेश कमांक एफ 3—14/2021/12, दिनांक 06.10.2023 के माध्यम से कुल रकबा 326.167 हे0 पर खनिजपट्टा स्वीकृति हेतु पूर्वानुमोदन प्रदान किया गया है। माईनिंग प्लान तैयार करने, वनस्वीकृति एवं पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किए जाने हेतु कार्यवाही प्रचलन में है।

9.10.11 डायमंड परियोजना:— एनएमडीसी एवं सीएमडीसी के मध्य गठित संयुक्त उपक्रम की कंपनी एनएमडीसी—सीएमडीसी (एनसीएल) के माध्यम से जिला महासमुंद के तहसील सरायपाली में बलौदा—बेलमुण्डी डायमंड ब्लॉक के रकबा 156.80 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति निष्पादन कर, अन्वेषण की कार्यवाही प्रचलन में है।